झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1767 वर्ष 2018

1. बंधनी कमीन
2. सोकी करमाली .... याचिगण

बनाम्

1. सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, अपने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राँची, झारखण्ड के माध्यम से।
2. निदेशक, कार्मिक, सी0सी0एल0, राँची, झारखण्ड।
3. महाप्रबंधक, (पी0 एंड आई0 आर0), सी0सी0एल0, राँची।
4. महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, सी0सी0एल0, रामगढ़।
5. परियोजना अधिकारी, सरूबेरा कोलियरी, रामगढ़।
6. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सरूबेरा कोलियरी, सी0सी0एल0, रामगढ़।

.... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिगण के लिए :– श्री दीन बंधु, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण के लिए :– मैसर्स राजेश लाला, अर्पित कुमार।

02 / दिनांकः 12.09.2018

‘ याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिगण मृतक कर्मचारी रोगा करमाली की विधवा और पुत्र हैं जिनकी मृत्यु 09.12.1999 को सी0सी0एल0 के अधीन सरूबेरा कोलियरी, रामगढ़ में श्रेणी–IV के अधीन लोहार की हैसियत के कार्य करते रहने के दौरान कर्त्तव्य पर रहते हुए हुई थी। प्रत्यथी संख्या 2 ने दिनांक 21.01.2012 के परिपत्र के आलोक में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए दावा किया है।

3. सी0सी0एल0 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता के निर्देश के अनुसार, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उनके दावे को पहले पत्र सं0–8331, दिनांक 10.12.2003 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के समय पर यथा प्रयोज्य 6 महीने की अवधि से अधिक समय के बाद आवेदन किया गया था। परिशिष्ट–6 का परिपत्र 24.10.2011 को आयोजित संयुक्त परामर्श समिति की बैठक एवं 30.12.2011 की पश्चात्वर्ती बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के उन कर्मचारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के लिये गये निर्णय पर आधारित है जिसे पहले कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 6 महीने से अधिक के विलम्ब के आधार पर कर्मचारी की मृत्यु से 1 से डेढ़ वर्षों तक का विलम्ब होने पर अस्वीकार कर दिया गया था। समय सीमा का विस्तार कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्षों तक किया गया था तथा यह विलम्बित आधार पर खेद प्रकट किये गये मामलों की पुनर्परीक्षा के लिए 12.12.1995 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। प्रासंगिक समय पर, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा 6 महीने थी। याचिकाकर्त्ता के मामले के अनुसार, उन्होनें 23.10.2014 को आवेदन किया। प्रत्यर्थी सी0सी0एल0 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह आवेदन भी समय वर्जित है

क्योंकि यह परिपत्र जारी करने की तारीख से डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्त्ता ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अपने दावे के संबंध में 2018 में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

4. अभिलेख पर लाये गये तात्विक तथ्यों के आलोक में एवं प्रत्यर्थी सी0सी0एल0 के विद्वान अधिवक्ता के अनुदेशों के आधार पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया। याचिकर्त्ता का मामला दिनांक 21.01.2012 के परिशिष्ट–6 पर रखे परिपत्र पर आधारित है। स्वीकृत रूप से आवेदन 23.10.2004 को किया गया है। इस प्रकार, याची के मामले का न्यायनिर्णयन करने से पहले, यह उपयुक्त समझा जाता है कि प्रत्यर्थी सी0सी0एल0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर निर्णय करेंगे।

5. रिट याचिका तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

ह0

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)